कार्यालय जिला **कलक्टर** एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2024 (GCMS 2024/177)

(आईटीआई पोर्टल नं. 212909276248419)

गुरजिंदर सिंह बराड़ पुत्र श्री लाभ सिंह बराड़ वीपीओ मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001 (मोबाईल नम्बर – 99285–00772)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी गुरजिंदर सिंह बराड़ उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरजिंदर सिंह बराड़ ने लोक सूचना अधिकारी/अति. जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.07.2024 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरजिंदर सिंह बराड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके कार्यालय में प्राप्त प्रार्थी द्वारा प्रेषित इस परिवाद/प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आपके कार्यालय में प्रार्थी का यह परिवाद/प्रार्थना पत्र जिस रजिस्टर/पंजिका में दर्ज किया गया उससे संबंधित प्रविष्ठि पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के इस परिवाद/प्रार्थना पत्र पर आपके कार्यालय स्तर की गई कार्रवाई संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रति।
4. संबंधित विभाग (विद्युत विभाग) द्वारा इस परिवाद/प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी के इस परिवाद/शिकायत निवारण हेतु विद्युत विभाग के सबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पद व पूर्ण पता की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. विद्युत विभाग के कार्मिकों द्वारा प्रार्थी के इस परिवाद के निस्तारण के क्रम में शिकायतकर्त्ता (प्रार्थी) के किए गए संपर्क/पत्राचार के प्रमाण की प्रमाणित प्रति।
7. आज दिनांक तक प्रार्थी की शिकायत/उल्लेखित परिवाद का समाधान न करने हेतु विद्युत विभाग के उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिकों का नाम, पदनाम एवं कार्यालय पता।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/——/2024/563 दिनांक 17.10.2024 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अधिशाषी अभियंन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, लि. श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण उन्होनें अपने पत्रांक 389 दिनांक 19.07.2024 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया था और सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), जो.वि.वि.नि.लि., श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जो.वि.वि.नि.लि./स.अ.(ग्रामीण)/संस्थापन/प्रे./3407 दिनांक 29.10.2024 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अनवानी गुरजिन्द्र सिंह बराड़ द्वारा अपील संख्या 48/2024 दायर की गई है जिसमें वादी द्वारा अपने घर के पास जा रही विद्युत लाइन की तारे नीची होने की शिकायत की गई थी जिसकी कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका जांच की गई जिसमें मौके पर पाया गया कि वादी के घर के पास इन्सुलेटड एल टी लाईन है जिसकी तारे जमीन से 13 फुट की ऊंचाई पर है जो निगम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसान सही ऊंचाई पर है एवं घरो से लगभग 15 फीट की दूरी पर है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने का अंदेशा नहीं है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में प्रेषित है।

-sd-
सहायक अभियन्ता (ग्रामीण)
जो.वि.वि.नि.लि.,श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक अभियन्ता(ग्रामीण), जो.वि.वि.नि.लि श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि सहायक अभियंता (ग्रामीण), जो.वि.वि.नि.लि., श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो, **सहायक अभियन्ता(ग्रामीण), जो.वि.वि.नि.लि श्रीगंगानगर** के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, सहायक अभियंता(ग्रामणी), जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगांगनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:35 IST
Reason: SelfAttested